संख्या/No. 12-1/2017-से.पू.

तार : राजभाषा
Tele : Rajbhasha
फोन/Phone : 26178454, 26105211
26105213, 26105214, 26105243
26105312, 26105245, 26105526
फैक्स/Fax : 26100758, 26103160
26102575
www.hindinideshalaya.nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
CENTRAL HINDI DIRECTORATE
शिक्षा मंत्रालय
(MINISTRY OF EDUCATION)
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम्, WEST BLOCK-VII, RAMA KRISHNA PURAM
नई दिल्ली/NEW DELHI-110066 दिनांक/DATED : 08 .02.2021

सेवा में,

विषयः- निदेशालय के माल ढुलाई तथा किताबों के बंडलों को तैयार करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने संबंधी।

महोदय,

निदेशालय के द्वारा विभिन्न सरकारी/अर्ध सरकारी कार्यालयों/स्कूल तथा कालिजों तथा पुस्तक मेलों आदि में पुस्तकों के बंडल बनाने तथा उन्हें रेलवे स्टेशन/ट्रांस्पोर्ट के माध्यम से भिजवाने तथा कार्यालय तक लाने के लिए अगर आप इस निदेशालय के कार्य को ठेके पर लेने के इच्छुक हैं तो अपने लेटर हैड पर सभी दरों आदि का उल्लेख निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार निविदा के रुप से भरकर दिनांक 23.03.2021 को सुबह 10:.00 बजे तक सील बंद लिफाफे में "**निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, पश्चिमी खंड-7, आर.के.परम, नई दिल्ली**" के नाम भिजवाने की व्यवस्था करें। बाद में प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। निविदाएं उसी दिन दोपहर 12:00 बजे प्रशासनिक अधिकारी के कक्ष में खोली जाएंगी। निविदा की नियम व शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. निविदाएं सील बंद लिफोफे में होनी चाहिए तथा लिफोफे के ऊपर "**निदेशालय के पुस्तकों के बंडलों को तैयार करके ट्रांस्पोर्ट के माध्यम से लाने ले जाने के लिए निविदा**" लिखा होना चाहिए।
2. इस कार्य के लिए धरोहर राशि के रुप में रु.10,000/- का बैंक ड्राफ्ट "**निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय**" के नाम जमा करना होगा।
3. आपके द्वारा प्रेषित निविदा स्वीकृति होने के उपरांत एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
4. निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम होगा। कार्य संतोंषजनक न पाए जाने की स्थिति में उन्हें अधिकार होगा कि वे ठेके को बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकते है।
5. आपको सूचना देने के उपरांत आप तुरंत कार्यालय में संपर्क करने के लिए बाध्य होंगे।

आप उपरोक्त नियम व शर्तो के अनुसार बाध्य होंगे तथा किसी प्रकार की शिकायत का मौका न देने की स्थिति में कार्य करें।

भवदीया,

(रीता देव)
प्रशासनिक अधिकारी